

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 172/2-2020 प्रा0 पत्र

1. श्री नारायण पिता जैवा जति कुगावत निष् द्वापरिया जिला, पटवार हल्का
---प्रार्थी।

बनाम

1. श्री शिवकुगावत पिता लक्ष्मी-लाल जति शाहमण निष् वेगानी, पटवार हल्का
---विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 11/01/2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वेगानी पटवार हल्का वेगानी ने0 क्षेत्र वेगानी में उनके खाता संख्या 234 की आ0नं0

0.5 बीघा, 6.86 बीघा, 684/1 कुल कितना-03 कुल स्थित है।
0.02 बीघा, 0.04 बीघा, 0.05 बीघा कुल कितना-03 कुल स्थित है।
त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी श प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11/01/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से डी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की री होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों से हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम वेगानी पटवार हल्का वेगानी भू0अ0नि0 क्षेत्र वेगानी में उनके खाता 234 की आ0नं0

0.5 बीघा, 6.86 बीघा, 684/1 कुल कितना-03 कुल स्थित है।
0.02 बीघा, 0.04 बीघा, 0.05 बीघा कुल कितना-03 कुल स्थित है।

दोनों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि.0 को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर थर्तीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व से यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल ने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

---प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)

:- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)